उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल।
अपील आदेश सं0: 499/2011

श्रीमती इंदिरावती देवी और अन्य......... ....अपीलार्थी

बनाम

श्री राजीव सिंघल और अन्य.......... ....प्रतिउत्तरादाता

अधिवक्ताः श्री रवि सहगल, अधिवक्ता, अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्री पीयूष गर्ग की ओर से पैरवी हेतु।
श्री कार्तिकेय मौलेखी, अधिवक्ता, प्रतिउत्तरदाता की ओर से श्री पी.सी. मौलेखी की ओर से पैरवी हेतु।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम, 1988 कहा जाएगा) के अधीन दिए गए आदेश से दिनांकित 29.07.2011 के अधिनिर्णय के औचित्य पर इस अपील में प्रश्न उठाया है, जैसा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, ऋषिकेश द्वारा एम.ए.सी.पी. मामला सं0 2008 की 50, श्रीमती इंदिरावती देवी और अन्य बनाम श्री राजीव सिंघल और अन्य में पारित किया गया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए आपेक्षित अधिकरण के परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों/दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. उक्त मामले में विचार करने वाले तथ्यात्मक पहलू यह है कि दावेदारों ने तर्क दिया है कि दिनांक 28.11.2007 को, जब उल्लंघन करने वाला वाहन ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या UA07C/9927 है, चालक द्वारा चलाया जा रहा था और ऋषिकेश की ओर जा रहा था। वाहन में तकनीकी खराबी आने के कारण, एक मैकेनिक श्री हरपाल सिंह को बुलाया गया था, जिसके द्वारा आवश्यक मरम्मत करने के बाद वाहन में यात्रा करने के लिये कहा गया था। उक्त वाहन यात्रा के दौरान चंबा धरासू मोटर रोड के पास दुर्घटना का शिकार हो गया था।

3. उक्त तर्क दिया गया है कि दुर्घटना वाहन के चालक की तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी। जिसके कारण वाहन खाई में गिर गया था। जिसके परिणामस्वरूप मैकेनिक स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह, जो उस वाहन में यात्रा कर रहे थे, को गंभीर चोटें आई थीं और बाद में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

4. दावेदारों ने तर्क दिया है कि दुर्घटना की तारीख 28.11.2007 को मृतक हरपाल सिंह 42 वर्ष का था और टाटा कमर्शियल मोटर्स ऋषिकेश में मैकेनिक के रूप में 4,108/—प्रतिमाह वेतन पर काम कर रहा था।

5. दावेदारों ने तर्क दिया है कि दावेदार नं0 1 मृतक के भाई की पत्नी, दावेदार नं0 3 मृतक का वास्तविक भाई और दावेदार सं0 2, 4, 5 और 6, मृतक स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह के आश्रित होने के कारण मुआवजे के प्रेषण के हकदार होंगे। जिसका उन्होंने रू0 30,30,000/—भुगतान का दावा किया है।

6. दावा याचिका का विरोधी पक्ष नं0 3, जोकि बीमा कंपनी है, के द्वारा विरोध किया गया। जिसने अपना जवाब दावा पेपर नं0 19 (के एच ए), में कहा है कि दावेदारों का मृतक के साथ संबंध को देखते हुए वे किसी भी मुआवजे के अनुदान के हकदार नहीं है। इसके अलावा बीमा कंपनी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था, जोकि दिनांक 28.11.2017 को हुई थी।

7. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि वास्तव में वह कहानी है जो दावेदारों द्वारा बनायी गयी थी कि स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह उल्लंघनकारी वाहन पर यात्रा कर रहे थे। वास्तव में यह एक झूठी कहानी है। जिसे बाद में गढ़ा गया है। वास्तव में मृतक संबंधित वाहन में यात्रा नहीं कर रहा था। हालांकि स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह से संबंधित तथ्य कि वह टाटा मोटर्स में कार्यरत थे और ऊपर उल्लिखित वेतन प्राप्त कर रहे थे। यह भी एक तथ्य है जिसे नकारने का प्रयास किया गया था।

8. बीमा कंपनी द्वारा अपने जवाब दावा में यह तर्क दिया गया था कि दुर्घटना की तारीख को बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वाहन नहीं चलाया जा रहा था और चूंकि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और यदि मृतक को उल्लंघन करने वाले वाहन पर यात्रा करने वाला माना जाता है, तो उसे ''अनावश्यक यात्री'' के रूप में माना जाएगा। यहां दावेदारों ने अपनी निर्भरता के तथ्य को स्वीकार किए बिना प्रस्तुत किया था कि वे किसी भी मुआवजे के अनुदान के हकदार नहीं होंगे।

9. विरोधी पक्ष नं0 1 उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने अपना स्वतंत्र जवाब दावा पेपर नं0 37 (ख) दाखिल किया, जिसमें दावेदारों द्वारा किया गया दावा, जैसा कि लिखित कथन में अभिवचन किया गया है, कि घटना मनगढ़ंत और कृत्रिम थी और यह एक काल्पनिक कथा पर आधारित थी, जिसे दावेदारों द्वारा कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है और उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में ऐसी कोई घटना कभी भी नहीं हुई। इसके अलावा, वाहन के मालिक ने प्रस्तुत किया है कि अभिकथित दुर्घटना की तारीख पर वाहन चलाया जा रहा था, सभी वैध दस्तावेजों और वाहन के

चालक विरोधी पक्ष नं0 2 के पास दुर्घटना होने की तारीख को उसके पक्ष में वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। वाहन के मालिक ने वाहन को उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के तथ्य से भी इनकार किया है।

10. जहां तक कि एकपक्षीय विरोधी नं0 2 (ख) उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक का संबंध है कि उसने नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही में भाग नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2009 के द्वारा विरोधी नं0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही जारी की।

11. दलीलों के अदान–प्रदान पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने अपने दिनांक 28.05.2010 के आदेश द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किये थेः–

1– क्या दिनांक 28.11.07 को ग्राम सांकरी मध्य बैल की थार नामे तोप स्थित चम्बा थरासू मार्ग पर विपक्षी सं0 2 सोबन सिंह द्वारा ट्रक सं0 यू.ए. 07सी/9927 को लापरवाही से चलाने के कारण ट्रक खडड में गिर गया, जिससे उसमें सवार हरपाल सिंह की ट्रक के नीचे दब जाने व अत्याधिक चोट लगने व खून बह जाने से मृत्यु हो गयी ?

2– क्या दिनांक 28.11.07 को मृतक हरपाल सिंह ट्रक सं0 यू.ए. 07सी/9927 में सवार नहीं था, जैसा कि विपक्षी सं0 3 ने अपने जवाबदावे के पैरा 12 में कथन किया है ?

3– क्या याची मृतक पर आश्रित नहीं थे, जैसा कि विपक्षी सं. 3 के जवाबदावे में पैरा 27 में कहा गया है ?

4– क्या दुर्घटना के समय ट्रक सं0 यू.ए. 07सी/9927 का चालक ट्रक को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा था ?

5– क्या याचीगण कोई प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना और किस पक्ष से?

12. कार्यवाही के पक्षों द्वारा उठाए गए अपने–अपने अभिवचनों के समर्थन में दावेदारों ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए सूची पत्र सं0 7 (जी.ए.) से 8 तक, प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने विद्वत अधिकरण के समक्ष मृत्यु प्रमाणपत्र की एक जिरॉक्स प्रति, अधिकरण आर. की प्रति अर्थात् पत्र सं0 9 (जीए), पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पेपर नं0 10 (जीए), वेतन की प्राप्ति i.e. पेपर नं0 11 (जीए) और वाहन और बीमा पॉलिसी के वैध पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों सहित विभिन्न अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया। जिन्हें रिकॉर्ड पेपर नं0 13 (जीए) पर रखा गया था।

13. प्रमुख दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा उनके जवाब दावा में उठाए गए अभिवचनों के समर्थन में, साथ ही दावेदारों द्वारा दावा याचिका बीमा कंपनी ने अपने जवाब दावा ठीक होने तथा अपने रूख को साबित करने के लिए निचले न्यायालय के समक्ष कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था, सिवाय बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेजों और उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के कि दुर्घटना की तारीख को वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त वाहन चलाया

जा रहा था।

14. अपीलार्थियों की ओर से अधिकरण ने प्रस्तुत किया है कि यदि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिनांक 29.07.2011 के आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा दावे को अस्वीकार करने के लिए अपने परिणाम को अभिलिखित करते समय की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है, तो पूरा मुद्दा एक पहलू के निर्धारण पर निर्भर करेगा, जो इस तक सीमित है कि क्या दावेदार मृतक के 'कूननी प्रतिनिधि' होंगे या नहीं। उन्होंने उक्त मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया कि यद्यपि मृतक श्री हरपाल सिंह के साथ दावेदारों के संबंधों के बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मोटर वाहन अधिनियम विशेष रूप से इस बात से संबंधित नहीं है कि किसको आश्रितों के दायरे और दायरे में लाया जा सकता है, इसे किस हद तक विचार करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, और ''कूननी प्रतिनिधि'' के रूप में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ''कानूनी प्रतिनिध'' की परिभाषा के संदर्भ में इस मामले पर तर्क दिया था, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उप खंड (11) के तहत परिभाषा में निहित है।

> धारा 2 का उपखण्ड (11)– कानूनी **प्रतिनिधि से** ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कानूनी रूप से किसी मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है और जहां एक पक्ष प्रतिनिधि चरित्र में मुकदमा **करता है या मुकदमा किया जाता है, वह व्यक्ति जिस पर संपत्ति पक्ष की मृत्यु पर मुकदमा या मुकदमा करता है;**

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जहां तक विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा इस आधार पर दावा याचिका को अस्वीकार करने के लिए गया दृष्टिकोण है कि दावेदार मृतक के आश्रित और कानूनी प्रतिनिधि नहीं होंगे, इसका उत्तर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उप खंड (11) के तहत कानूनी प्रतिनिधि की दी गई परिभाषा के संदर्भ में दिया गया है। इसके समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी संदर्भ दिया था कि मुद्दा नं0 3, विवेचित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दी गई व्याख्या, कि स्वर्गीय श्री हरपाल सिंह की मृत्यु के परिणामस्वरूप, मौजूदा दावेदारों को मुआवजे के साथ भुगतान किये जाने से हटाने के लिए, कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन पर देश के विभिन्न उच्च अधिकरणों द्वारा निर्धारित विभिन्न अनुपातों के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक था, जहां कानूनी प्रतिनिधि के निहितार्थ, जैसा कि उप–खंड के तहत प्रदान किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की खण्ड (11) को उन कार्यवाहियों पर

लागू किया गया है, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खंड 140 के साथ पढ़ने के लिए खंड 166 के तहत आयोजित किया जाता है।

16. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने एफ0आई0आर0 2011 मद्रास 118 **प्रबंध निदेशक तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम एम. शांति और अन्य** में दिये गये निर्णय में इस पहलू को निर्धारित किया है कि कानूनी प्रतिनिधियों का क्या प्रभाव और निहितार्थ होगा और दावा याचिका, जिसे उस मामले में विवाहित बेटे या बेटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे मृतक के सिद्धाधिकारियों के वर्ग के भीतर आते हैं, न्यायालय ने कहा है कि उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में माना जाएगा, क्योंकि यह एक अपरिहार्य निष्कर्ष है और चूंकि बीमा कंपनी द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया था, इसलिए इन कार्यवाहियों में, जो प्रश्न के नीचे अदालत के समक्ष आयोजित किए गए थे, दावेदारों के पक्ष में जवाब दिया गया था, जो उस दावे के संबंध में कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के भीतर आते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अधीन आयोजित कार्यवाहियों के संबंध में पठित विधिक अभ्यावेदन का सटीक अभिवेदन क्या होगा, इसके प्रभाव से संबंधित निर्णय के सुसंगत भाग पर पैरा 22 में विचार किया गया है, जो इस प्रकार है–

> ''22. जहां तक इस दलील का संबंध है कि दावेदार मृतक के आश्रित नहीं हैं, इस न्यायालय का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि जब किसी विवाहित पुत्र या पुत्री द्वारा याचिका दायर की जाती है, या किसी अन्य वर्ग–। के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में और दावेदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि वे कानूनी **प्रतिनिधि** हैं और मृतक ने अपने जीवनकाल के दौरान उन्हें अपनी आया का एक हिस्सा दिया था और यदि उक्त विवाद विवादित है, तो यह इस न्यायालय को देखना है कि इसके खंडन में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। यदि कानूनी प्रतिनिधियों को मृतक द्वारा अंशदान के अधिकरण का किसी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा खंडन नहीं किया जाता है, तो अधिकरण का अपरिहार्य निष्कर्ष दावेदारों के पक्ष में होना चाहिए। पूर्व वर्णित अधिनिर्णयों और कारणों को ध्यान में रखते हुए, विवादित बहनों और अन्य लोगों के पक्ष में दिए गए अधिनिर्णय को बिना किसी कानूनी सिद्धांतों के नहीं कहा जा सकता है और यह न्यायालय अधिकरण के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप करने

के लिए इच्छुक नहीं है।''

17. माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय द्वारा भी ए.आई.आर. 2011 छत्तीसगढ 22, **हीरालाल गिरी बनाम रामरतन और अन्य में दिए गए एक** निर्णय में, उन्हीं सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर मिला था, जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, सीपीसी की धारा **2 (11)** के निहितार्थ एक दावे के संदर्भ में विचार किया गया था, जो मृतक की दूसरी पत्नी द्वारा उसमें उठाया गया था, बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसकी दावा याचिका मान्य नहीं होगी, क्योंकि उसे मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता है। उक्त सिद्धांत पर माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विचार किया गया था और उक्त निर्णय के पैरा **15** और **16** में अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने इसका उल्लेख किया है कि पहले के सिद्वांतों के आलोक में, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर **1987** एससी **1690,** गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातभाई और अन्य **जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 7, हीरालाल गिरी (सुप्रा) में निर्दिष्ट किया गया था,** न्यायालय ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत कानूनी प्रतिनिधि की अवधि का वही अर्थ होगा, जैसा कि सीपीसी की धारा 2 (11) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, दूसरी पत्नी को भी मृतक के आश्रित के दायरे में लाया जाएगा, जिसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के अनुदान के लिए मुआवजे का दावा दिया जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है—

> ''7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रकाश तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मृतक सीमा बाई के साथ अपीलकर्ता की दूसरी शादी उनकी पहली पत्नी श्रीमती कौशल्या बाई की सहमति से सम्पन्न हुई थी। इसलिए अपीलकर्ता **मृतक का** कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **2 (11)** के तहत परिकल्पित है, को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है। हालांकि अपीलकर्ता उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन वह वैधानिक मुआवजे 50,000/—जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत परिकल्पित है, का हकदार है और इस प्रकार, अधिकरण ने सीमा पर दावा याचिका को खारिज करने में घोर अनियमितता की है। उनके दलील के समर्थन में, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातभाई मनु/अनुसूचित

जाति/0469/1987 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1690 और श्रीमती मंजुरी बेरा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुन/एससी/1978/2007:2007 (10) एससीसी 643. को ध्यान में रखा गया।

15. श्री मंजुरी बेरा (उपयुक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 12, 15 और 19 में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"12. जैसा कि इस न्यायालय ने बैंको नेशनल अल्ट्रामेरिनो बनाम नलिनी बाई नाइक की शाखाओं के संरक्षक मामले में कहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) में निहित परिभाषा चरित्र में समावेशी है और इसका दायरा व्यापक है, यह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए सक्षम कानूनी उत्तराधिकारी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वह मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें उत्तराधिकारी के साथ–साथ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति के कब्जे में निष्पादक या प्रशासक के रूप मे संपत्ति का **प्रतिनिधित्व करते** हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को 'कानूनी प्रतिनिधि' अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा। जैसा कि गुजरात स्टेट रोड परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभातभाई में कहा गया है कि एक **कानूनी प्रतिनिधि** वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता–पिता और बच्चा हो।

15. यह निर्णय उस पृष्ठभूमि में लिया जाता है जहां एक कानूनी प्रतिनिधि जो आश्रित नहीं है, मुआवजे के लिए आवेदन दायर करता है, जिसमें मात्रा अधिनियम की धारा 140 के लिए संदर्भित दायित्व से कम नहीं हो सकती है। इसलिए, भले ही निर्भरता का कोई नुकसान न हो, दावेदार यदि वह एक कानूनी प्रतिनिधि है, तो मुआवजे का हकदार होगा, जिसकी मात्रा अधिनियम की धारा 140 के अधीन दिये गये दायित्व से कम नहीं होगी। अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

19. आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने ''मुआवजे के लिए आवेदन करने के अधिकार'' और **''मुआवजे की पात्रता'' के बीच सही अंतर किया** है। उच्च न्यायालय ने उचित निर्णय दिया है कि एक विवाहित बेटी भी एक कानूनी प्रतिनिधि है और वह निश्चित रूप से मुआवजे का दावा करने की हकदार है। मौजूदा मामले के तथ्यों पर आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवाहित बेटी अपने पिता पर निर्भर नहीं थी। वह अपने पति के साथ मायके में रहती थी। इसलिए, वह वैधानिक मुआवजे का दावा करने की हकदार नहीं थी। उच्च न्यायालय के अनुसार, दावेदार अपने पिता की आय पर निर्भर नहीं था। इसलिए, वह ''नो–फॉल्ट लायबिलिटी'' के आधार पर मुआवजे का दावा करने की हकदार नहीं थी।

16. उपर्युक्त निर्दिष्ट मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, अब यह तय किया गया है कि मोटर **वाहन अधिनियम की धारा 166 में आने वाले ''विधिक प्रतिनिधि'' शब्द का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) के** तहत परिभाषित किया गया है। अब यदि हम कानूनी प्रतिनिधि की उपरोक्त परिभाषा को लागू करते हैं, जिसे मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता, स्वीकृत रूप से मृतक पर निर्भर नहीं था, न तो वह व्यक्ति है जो कानूनी रूप से मृतक सीमा बाई की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और न ही मृतक के हित में उत्तराधिकारी है। इसलिए, यदि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) के तहत प्रदान की गई कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा को इसके व्यापक आयाम में लिया जाता है, तो भी अपीलकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करने का हकदार व मृतक का कानूनी प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, अधिकरण ने दावा याचिका को खारिज करने में कोई अवैध कार्य नहीं किया है।''

18. पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ए.आई.आर. 2009 पटना **168,**

योगेन्द्र भागता अन्य बनाम. प्रितलाल यादव अन्य में इस बात पर विचार कर रही थी कि सीपीसी की धारा 2 की उप खंड (11) के कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है, जहां यह ''मध्यस्थ'' शब्द को संदर्भित करता है, इसके अर्थ का विस्तार किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सह–मालिक या परिवार के भाई भी मध्यस्थों की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसका उपयोग सीपीसी की धारा 2 की उप खंड (11) के तहत कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा किए गए निष्कर्ष के सुसंगत भाग में, उसने अपने पैरा 25 में यह निर्धारित किया है कि बिचौलियों का वही अर्थ होगा, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही के तहत दुखद मृत्यु के साथ मिलने वाले मृतक के कानूनी प्रतिनिधि होने का है।

> ''25. उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए इस मामले पर दंडनीय से अलग होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अतिक्रमणकर्ताओं को बाहर उपशमन करना अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद में पारित डिक्री से उत्पन्न होने वाली अपील में, यदि सह–स्वामी–प्रत्यर्थियों (वादी) में से किसी एक की अपील विचाराधीनता रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अन्य सह–स्वामी–वादी की उपस्थिति में, मुकदमा अपील समाप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, मेरा यह भी मानना है कि संहिता की धारा 2(11) के तहत प्रदान की गई ''कानूनी प्रतिनिधि'' शब्द की परिभाषा समावेशी है और इसका दायरा व्यापक है। यह केवल उत्तराधिकारियों के एक पसंदीदा वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें मध्यस्थ भी शमिल हैं। मौजूदा मामले में, सह–मालिक होने के अलावा, कुछ वादी भाई भी हैं और भले ही वे द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हों, वे तथ्यों में मृतक की संपत्ति के मध्यस्थ हैं और मामले की परिस्थितियां, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए, इस कारण भी पूरी अपील को उपशमन का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार, पूर्ण पीठ को निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है।''

19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, जब मोटर वाहन के मामलों और संदर्भ में कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा के निहितार्थ और परिणाम, जो उक्त निर्णय में दर्ज किए गए हैं, पैरा 19 में भी, मौजूदा दावेदार जिनमें क्रमशः मृतक की साली, भाई, भतीजी और भतीजे के रूप में निकट संबंध होने के बहाने अपनी दावा याचिका दायर की है, वे अभी भी कानूनी

प्रतिनिधियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इसलिए दावा याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि आश्रितों के पास एक अलग राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर था, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(11) में परिभाषित है, जैसा कि योगेन्द्र भागता के मामले में पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया था।

20. इसी तरह का विचार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **ए.आई.आर. 2008 मध्य प्रदेश 213 में आमना और अन्य बनाम** मेसर्स रॉयल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और अन्य के निर्णय में व्यक्त किया गया था, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ, जो कार्यवाही के साथ बंद कर दी गई थी, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत आयोजित की जा **रही थी,** उसमें दी गई अभिव्यक्ति 'कानूनी प्रतिनिधि', क्योंकि अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया था, उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 7, 8 और 9 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा है कि मृतक के भाई को अभी भी कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है और वह मुआवजे की मांग करने का हकदार होगा, इस प्रकार कानूनी प्रतिनिधि का एक प्रतिबंधित दृष्टिकोण मोटर के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए मृतक के आश्रितों के नुकसान के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

> ''7. क्षतिपूर्ति में वृद्धि के लिए अपीलार्थियों के प्रत्याक्षेप करने से पहले हम अपीलकर्ता सं0 2 मुआवजे का दावा करने में मोटर वाहन अधिनियम में कानूनी प्रतिनिधि शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(1) (सी) के तहत यह विचार किया गया है कि मृतक के सभी या कोई भी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के हकदार हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने से संबंधित है और इसमें यह निर्धारित किया गया है कि धारा 165 की उपखंड (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोटें स्थिर हों या संपत्ति के मालिक द्वारा या ऐसे मामलों में जहां मृत्यु हुई हो। भले ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 (1) के खंड (ग) में उपस्थित कानूनी प्रतिनिधि शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे सीपीसी की धारा–2 (11) के

तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से एक मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है और जहां एक पक्ष प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा करता है या मुकदमा किया जाता है, वह व्यक्ति जिस पर संपत्ति पक्ष की मृत्यु पर मुकदमा करता है या मुकदमा किया जाता है।

8. मंजुरी बेरा (उपर्युक्त) के मामले में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम अहमदाबाद (उपर्युक्त) के मामले में पहले दिए गए एक निर्णय पर निर्भर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि उक्त व्यक्ति को मृतक की पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चा होना जरूरी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावा आवेदन दायर करने के अधिकार तथा पात्रता के अधिकार के पीछे के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम अहमदाबाद (उपर्युक्त) के मामले में किए गए अवलोकन और बैंक नेशनल अल्ट्रामेरिनो बनाम नलिनी बाई नाइक मनु/एससी/01149/1989 की शाखाओं के संरक्षक के मामले में एक अन्य निर्णय पर ध्यान देने के बाद : [1989] 2 एससीआर 810 यह देखा गया है कि एक कानूनी प्रतिनिधि वह है जो दुर्घटना के कारण पीड़ित है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम अहमदाबाद (उपर्युक्त) के मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 (ए) के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने के अधिकार के आलोक में प्रश्न पर विचार किया जाता है जैसा कि प्रासंगिक समय पर मौजूद था और विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार एक कानूनी प्रतिनिधि आवश्यक रूप से मृतक व्यक्ति की पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चा नहीं होना चाहिए। उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

दुर्घटना के कारण पीड़ित कोई अन्य व्यक्ति कानूनी प्रतिनिधि है, उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का भाई धारा 110(ए) के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार है यदि वह मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है। उपर्युक्त निर्णय के पैरा 11 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार अवलोकन किया गया हैः

मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होने वाले प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजे की वसूली के लिए एक उपाय होना चाहिए जो धारा 110–ए से 110–एफ द्वारा प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्य के कानून के सिद्धांतों के अनुरूप हैं कि प्रत्येक चोट का एक उपाय होना चाहिए। यह मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण का काम है कि वह उस मुआवजे का निर्धारण करे जो उसे धारा 110–ख में उपबंधित प्रतीत होता है और उसे व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करे जिसे मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। देय मुआवजे का निर्धारण और कानूनी आवेदन के बीच धारा 110–बी द्वारा आवश्यक इसके विभाजन को खंड 110–ए के तहत दायर किया जा सकता है जो कानून के प्रसिद्ध सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि भारतीय परिवार में भाइयों की बहनें और भाई के बच्चे और कभी–कभी पालक बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के कमाने वाले पर निर्भर होते हैं और यदि परिवार के कमाने वाले की मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें मुआवजा देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम में निहित प्रावधान द्वारा काफी हद तक संशोधित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विधि के प्रतिपादन से यह स्पष्ट है कि यदि परिवार के कमाने वाले की मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो परिवार का अन्य व्यक्ति जो उस पर निर्भर है, मुआवजे का दावा करने का हकदार है। मौजूदा मामले के तथ्यों का यदि उपरोक्त सिद्वांतों के पिछले हिस्से में मूल्यांकन किया जाता है तो यह इंगित करता है कि अपीलकर्ता नं. 2 राशिद खान एक विकलांग व्यक्ति है जो

मृतक की कमाई पर निर्भर है। पी0डब्ल्यू0 1 आमना बी के अनुसार उनके 25 साल के दो बेटे साजिद खान और 16 साल के राशिद खान थे। उसका कहना है कि उसका छोटा बेटा रशीद खान शारीरिक रूप से विकलांग है, वह कोई काम करने में असमर्थ है और राशिद खान और दावेदार नं0 1 का रखरखाव खुद साजिद खान द्वारा किया जा रहा था। भले ही राशिद खान अपीलकर्ता नं. 2 की जांच नहीं की गई है, लेकिन इस संबंध में पी0डब्ल्यू0 1 आमना बी के बयान को बीमा कंपनी द्वारा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है और यह मानने के लिए पी0डब्ल्यू0 1 आमना खान के बयान को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि उसका छोटा बेटा शारीरिक रूप से विकलांग है और उसके बड़े बेटे पर निर्भर था। तद्नुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता नं. 2 रशीद अपने बड़े भाई पर निर्भर था, साजिद खान अपीलकर्ता नं. 2 और दुर्घटना के कारण रशीद खान को अपने भाई की मृत्यु के कारण प्रतिकूल नुकसान उठाना पड़ा रहा है और इसलिए वह मुआवजे की मांग करने का हकदार है।

9. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, विधायी उद्देश्य और वह उद्देश्य जिसके लिए प्रावधान किया गया है। सर्वोपरि ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभार्थी कानून है, जिसे मोटर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के लिए अधिनियमित किया गया है, दावा करने वालों को मुआवजा दिया जाता है ताकि कमाई करने वाले सदस्य या जिस पर परिवार निर्भर था कि मृत्यु के कारण परिवार पर पड़ने वाली कठिनाई को पूरा किया जा सके। इस तरह के प्रावधान होने के कारण इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि कानून के इरादे को आगे बढ़ाया जाए, अगर श्री एस.एस. बंसल द्वारा प्रतिबंधित व्याख्या लागू की जाती है तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इंगित करता है कि अपीलकर्ता नं0 2 अपने जीवन यापन के लिए अपने भाई पर निर्भर था और दुर्घटना के कारण वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। मोटर वाहन अधिनियम को अधिनियमित करने का विधायी उद्देश्य केवल अपीलकर्ता सं. 2 और यदि बीमा कंपनी द्वारा अनुरोध किए गए ''कानूनी प्रतिनिधि'' शब्द का

प्रतिबंधित अर्थ स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह विधायी इरादे के खिलाफ होगा, जो अनुज्ञेय नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि रशीद खान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 (1) (सी) के अर्थ के भीतर एक कानूनी प्रतिनिधि है जो मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है और रशीद खान को मुआवजा देने में, विद्वान अधिकरण ने हस्तक्षेप वाली कोई त्रुटि नहीं की है। तद्नुसार बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्ति को पूरी तरह से अस्थिर पाते हुए, दायर की गयी क्रॉस–आपत्ति I.A नं. 3656/2006 को खारिज कर दिया गया।''

21. पैरा 7, 8 और 9 में की गई सुसंगत टिप्पणियाँ, जैसा कि ऊपर दिया गया है, दावेदारों को कानूनी प्रतिनिधि होने के दायरे में लाएंगी, क्योंकि वे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के दायरे में होंगे।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 (7) एस.सी.सी. 224, मनोविकास **केन्द्र पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान बनाम प्रेम प्रकाश लोढ़ा के निर्णय** में कहा कि, हालांकि यह एक कार्यवाही के संदर्भ में था, जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आयोजित किया जा रहा था, लेकिन उस मामले में भी, एक अवसर था, जो इससे पहले आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस बात पर विचार करने के लिए कि किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आयोजित की गई कार्यवाहियों के संबंध में कानूनी प्रतिनिधि शब्द के क्या अर्थ होंगे, क्या कानूनी प्रतिनिधियों को इसके भीतर ऐसे प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाएगा, जो किसी विशेष समुदाय पर लागू उत्तराधिकार की प्रासंगिक कानून के तहत प्रदान की गई उत्तराधिकार की श्रंखृला में भी नहीं आते हैं। इसने पैरा 3 में यह निर्धारित किया था कि अपील न्यायालय, सीपीसी के आदेश 41 नियम 33 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष रूप से, जब यह कल्याणकारी विधान के तहत आयोजित होने वाली कार्यवाहियों से संबंधित है और उन पर असर डालता है, तो कानूनी प्रतिनिधियों का दायरा पर्याप्त रूप से व्यापक हो जाएगा, जहां एक वादकारी को अधिकार के निर्धारण के उद्देश्य से अधिकार प्राप्त होता है और मुकदमा चलाने का अधिकार अदालत के समक्ष मुकदमे के विषय पर रहता है। उपर्युक्त निर्णय के पैरा 3 में सुसंगत टिप्पणियां की गई हैं, जो इस प्रकार है–

> ''3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। नीचे दो न्यायालयों द्वारा पारित बेदखली की डिक्री पर मकान मालिक की मृत्यु का क्या प्रभाव होगा, इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए यदि वह ऐसी बाद की घटना पर ध्यान दे सकता है, लेकिन अपील के तहत डिक्री को उलटने से पहले किसी की डिक्री के समर्थन में सुना जाना चाहिए।'' विधिक प्रतिनिधि'' शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड (11) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो विधि में मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है। उपशमन का सवाल तभी उठेगा जब कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं होगा। हमारे समक्ष अपीलकर्ता, जो वाद संपत्ति का दाता होने का दावा करता है, निश्चित रूप से ''कानूनी प्रतिनिधि'' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसका ऊपर उल्लेख किय गया है। उच्च न्यायाालय में मृतक प्रतिवादी के स्थान पर अपीलार्थी को दर्ज किए जाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। बाद की घटना को देखते हुए अपील के तहत डिक्री को स्थिर रखा जा सकता है या नहीं, यह उच्च न्यायालय द्वारा जांचा जाने वाला प्रश्न होगा, लेकिन आवेदक को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देने से पहले हम इस मुद्दे के उस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर इसकी जांच की जाएगी।''

23. हालांकि, यह उस संदर्भ में था जब आदेश 22 नियम 4 के अर्थ को उन कार्यवाहियों के अनुरूप पढ़ा जाना था, जो किराया नियंत्रण मामले से उत्पन्न होने वाले अपीलीय स्तर पर आयोजित की जा रही थीं, लेकिन तब भी, व्यापक सिद्धांत जो इसमें प्रदान किए गए थे, वे थे कि अपीलीय शक्ति के प्रयोग की गुंजाइश क्या होगी, जबकि कानूनी प्रतिनिधि शब्द के निहितार्थ की व्याख्या करते हुए, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया था, कोई भी व्यक्ति जिसे मुकदमा चलाने का अधिकार मिला है और उसका यह अधिकार किसी भी अधिनिर्णयन से प्रभावित होने की संभावना है, जोकि मामले के गुण–दोष के आधार पर बनाया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की

धारा (2) के उपखण्ड (11) के दिये गये प्रावधान के अनुसार कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के भीतर आते हैं।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक और अन्य मामले 2010 (2) एस.सी.सी. 162 **सुरेश कुमार बंसल बनाम कृष्ण बंसल** और अन्य, जो कार्यवाही फिर से किराया नियंत्रण मामले से उत्पन्न हो रही थी, जहां अभियोग के लिए एक आवेदन विचार का विषय था, जिसमें एक व्यक्ति को उस कार्यवाही में शामिल करने का प्रयास किया गया था जो किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही थी, इस बहाने कि उसने एक वसीयत के आधार पर खुद को वसीयतकर्ता होने का दावा किया था, जिसने इरादा किया था मृतक वसीयतकर्ता के हित और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करना। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कानूनी प्रतिनिधि, उन मामलों में भी जहां किसी मृतक की संपत्ति का विनिवेश होता है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों के संदर्भ में विनिश्चय किया जाने वाला विषय है, किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 और 8 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के प्रभाव के संदर्भ में, जैसा कि लागू हो, मृतक मकान मालिक का उत्तराधिकारी, जो धारा 2 की उपखंड (11) के अधीन कानूनी प्रतिनिधि के दायरे में आता है, एक आवश्यक पक्षकार बन जाता है क्योंकि उसके दावे पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाना है जहां उसका मामला यह है कि अधिकार उत्तराधिकार के कानून के अधीन उस पर हस्तांतरित हुए हैं, जैसा कि उन पर लागू होता है।–

> ''20. अब यह सुस्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 5 के तहत मृतक अभियोक्ता या प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि कौन हैं, इस सवाल का निर्धारण केवल उन कानूनी कार्यवाही के संचालन के लिए कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के उद्देश्यों के लिए है और यह न्यायिक प्रक्रिया के रूप में से काम नहीं करता है और प्रतिद्वंद्वी कानूनी प्रतिनिधियों के बीच अंतर–विवाद को स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रोबेट कार्यवाही अपने में से तय किया जाना चाहिए और प्रोबेट कार्यवाही अपने में से तय किया जाना चाहिए। यदि बेदखली के मुकदमें या अन्य संबंधित मुकदमें के निर्णय के लिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो मुकदमें में देरी होगी, जिससे केवल किरायेदारों को लाभ

होगा।

24. उपर्युक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के साथ–साथ विचारण न्यायालय ने न केवल मृतक अभियोक्ता के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को बल्कि अपीलकर्ता को भी, जो मृतक अभियोक्ता की कथित वसीयत के आधार पर अपने पक्ष का दावा कर रहा है, अभिकथित करने में अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया था।''

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय, जो 1987 **(3) एस.सी.सी. 234, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातभाई और** अन्य में रिपोर्ट किया गया था। यह मोटर वाहन अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित था, जहां धारा 110क के तहत दावे पर विचार किया जा रहा था, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 110ख के साथ पढ़ा जाना था, और यह एक ऐसा मुद्दा था जिसमें यह निहित था कि क्या कानूनी प्रतिनिधि में मृतक का भाई निहित होगा, जिसकी दुर्घटना के कारण दुखद मृत्यु हो गई थी, जो ज्ञात मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष विषय था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में एक बार फिर इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर देने के प्रयोजनों के लिए कि कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के दायरे में कौन आएगा, यह मत व्यक्त किया है कि इसके अर्थ कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के आधार पर तैयार किए जाएंगे, जैसा कि सिविल प्रक्रिया सहिता के तहत प्रदान किया गया है, ताकि कानूनी प्रतिनिधि को दिए जाने वाले मुआवजे की पात्रता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए निर्धारित किए गए आवश्यक अर्थ निर्धारित किए जा सकें।–

''11. अधिनियम की धारा 110–क की उपखंड (1) के खंड (ख) और (ग) में यह उपबंध है कि दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है। जहां मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी

प्रतिनिधि द्वारा दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो। धारा 110–क की उपखंड (1) के परन्तुक में यह उपबंध है कि जहां– मृतक के कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा। अधिनियम में 'कानूनी प्रतिनिधि' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सीपीसी, 1908 की धारा 2(11) 'कानूनी प्रतिनिधि' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो कानूनी रूप से एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है और जहां एक पक्ष प्रतिनिधि चरित्र में मुकदमा करता है या मुकदमा किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त परिभाषा, संदर्भ में, दावा अधिकरण के समक्ष किसी मामले पर लागू नहीं होती है, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि सामान्य बोलचाल में भी उक्त अभिव्यक्ति को लगभग उसी तरह से समझा जाता है जिस तरह से इसे सीपीसी में परिभाषित किया गया है। अधिकरण प्रतिनिधि का अर्थ आम तौर पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अधिकरण रूप से किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है या उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हस्तांतरित हो जाती है। अधिनियम की धारा 110–क की उपखंड (1) का खंड (ख) मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि को मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मृतक की मृत्यु के लिए दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करता है और उस उपखंड का खंड (ग) मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा अधिकरण प्राधिकृत किसी भी प्रतिनिधि को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है। अधिनियम की धारा 110–क की उपखंड (1) का परन्तुक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें प्रावधान है कि मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 110–क (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि (i)

मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों या उनके एजेंट द्वारा किया जा सकता है और (ii) ऐसा आवेदन सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति और जिनके लाभ के लिए आवेदन किया जा सकता है, दोनों को अधिनियम की धारा 110–ए में इंगित किया गया है। यह धारा एक प्रकार से घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1क के उपबंधों के लिए ऊपर दर्शायी गयी सीमा का प्रतिस्थापित है, जिसमें यह उपबंध है कि ''ऐसी प्रत्येक कार्रवाई या वाद उस व्यक्ति की पत्नी, पति, माता–पिता और बच्चे, यदि कोई हो, के लाभ के लिए होगा, जिसकी मृत्यु इस प्रकार हुई होगी, और मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि द्वारा और उसके नाम पर लाया जाएगा।'' जबकि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में यह मुकदमा है कि ऐसा वाद व्यक्ति की पत्नी, पति, माता–पिता और बच्चे के लाभ के लिए होगा। अधिनियम की धारा 110–ए (1) में कहा गया है कि आवेदन मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। किसी मामले में कानूनी प्रतिनिधि के लिए जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता–पिता और बच्चा हो। अधिनियम की धारा 110–ख से आगे यह देखा जाता है कि दावा अधिकरण को मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक अधिकरण लेने का अधिकार है जो उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह उपबंध घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 की खंड 1क के तीसरे पैरा में किया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि ऐसी प्रत्येक कार्रवाई में न्यायालय ऐसी हानि दे सकता है जो ऐसी मृत्यु के परिणामस्वरूप पक्षकारों को क्रमशः हुई हानि के अनुपात में हो, जिसके लिए और जिसके लाभ के लिए ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए ऐसा आवेदन किया जा सकता है और जिस तरीके से दिए गए मुआवजे को उन व्यक्तियों के बीच वितरित किया जा सकता है जिनके लाभ के लिए आवेदन किया जाता है, अधिनियम की धारा 110–ए और धारा 110–बी द्वारा निपटा जाता है और उस हद तक अधिनियम के प्रावधान

घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों का स्थान लेते हैं जहां तक मोटर वाहन दुर्घटनाओं का संबंध है। ये प्रावधान केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है। ये पक्षकारों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। चूंकि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 द्वारा सृजित कार्रवाई का अधिकार ''अपनी प्रजाति में नया था, अपनी गुणवत्ता में नया था, अपने सिद्वांतों में नया था, हर तरह से नया था'' मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मृत्यु के मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने के लिए अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधियों को दिया गया अधिकार समान रूप से नया और एक बड़ा अधिकार है। इस नए अधिकार को घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत किसी कार्रवाई की सभी सीमाओं से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। नई स्थितियों और नए खतरों के लिए नई रणनीतियों और नए उपचारों की आवश्यकता होती है।

13. हम महसूस करते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भारतीय समाज की स्थितियों के संबंध में न्यायाधीश, समानता और सद्भावना के सिद्धांतों के अनुरूप है। मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होने वाले प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजे की वसूली के लिए एक उपाय होना चाहिए और यह अधिनियम की धारा 110–ए से 110–एफ द्वारा प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्यों के कानून के सिद्धांतों के अनुरूप है कि प्रत्येक चोट का एक उपाय होना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण को उस मुआवजे का निर्धारण करना है जो उसे अधिनियम की धारा 110–बी में दिए गए मुआवजे के समान प्रतीत होता है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करना है जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा। देय मुआवजे का निर्धारण और अधिनियम की धारा 110 बी द्वारा आवश्यक कानूनी प्रतिनिधियों के बीच विभाजन, जिनके लाभ के लिए अधिनियम की धारा 110–ए के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है, कानून के प्रसिद्ध सिद्धांतों के अनुसार किया जाना है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय परिवार में भाई, बहन और भाई के बच्चे और कभी–कभी पालक बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के कमाने वाले पर निर्भर होते हैं और यदि मोटर वाहन दुर्घटना

के कारण कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें मुआवजा देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा काफी हद तक संशोधित किया गया है। हम मेघजिभाई खिमजी वीरा और अन्र में निर्णय के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हैं (वी. चतुर्भुज भाई तलजाबाई और अन्य, उपर्युक्त) और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का भाई अधिनियम की धारा 110–ए के तहत याचिका बनाए रखने का हकदार है यदि वह मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है।''

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में कहा है कि मुआवजे का निर्धारण जो मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को देय होगा और इसके विभाजन, जिस पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विचार करने की आवश्यकता थी, का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उप खंड (11) के तहत कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा के भीतर आने वाले कानूनी प्रतिनिधि के अधिकारों के अनुपात के हस्तांतरण के संदर्भ में किया जाना था।

27. इसलिए, उपर्युक्त अधिनिर्णयों द्वारा निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा किया गया है, दिनांक 29 नवंबर 2011 को आक्षेपित अधिनिर्णय देते समय मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, और विशेष रूप से सं. 3, दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के आधार से संबंधित उन कानूनी प्रतिनिधियों का पृथक जीवन, जिन्होंने मुआवजे के अनुदान के लिए दावा याचिका दायर की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि चूंकि वे मृतक के आश्रित थे, इसलिए मुद्दा नं. 3, जो साक्ष्य के सराहना पर आधारित था, वास्तव में, उपरोक्त सिद्धांतों के विपरीत है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए थे, कि किस तरह से दावेदार जिनके अधिकार अन्यथा उपार्जित होते हैं, निर्भरता के कारण और इस तथ्य के कारण क वे कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा के दायरे में आ रहे हैं, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित किया गया है, उसी के प्रावधान, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही में लागू किए गए हैं, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम स्वयं स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं

करता है, कि धारा 166 के तहत दावे की कार्यवाही को धारा 140 के साथ पढ़ने या धारा 140 के तहत कार्यवाही के लिए तय करने के उद्देश्यों के लिए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में किसे माना जाएगा।

28. उस स्थिति में, परिणाम, जो विवाद्यक संख्या 3 पर दर्ज किए गए थे, को स्थिर नहीं किया जा सकता। दावेदारों को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि मानने से इनकार करते हुए, उन्हें मुआवजे से सम्मानित किए जाने के लिए दावेदारों के दायरे में लाने के लिए और मामले के उस दृष्टिकोण से दावा याचिका को अस्वीकार करने के प्रयोजनों के लिए, दावेदारों को मृतक के आश्रित नहीं मानना, उपरोक्त अनुपातों के प्रति त्रुटिपूर्ण और विपरीत है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, इसलिए, आदेश से अपील की अनुमति है। दिनांक 29 जुलाई, 2011 का आक्षेपित अधिनिर्णय अभिखंडित किया जाता है। मामले को फिर से तय करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त न्यायाधीश, ऋषिकेश, जिला देहरादून को वापस भेजा जाये, एमएसी मामला नं. 50/2008, श्रीमती इंदिरा देवी और अन्य बनाम श्री राजीव सिंघल और अन्य, अपनी योग्यता के आधार पर, दावेदारों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) के तहत आने वाले मृतक के ''कानूनी प्रतिनिधि'' के रूप में मानते हुए, कार्यवाही के प्रतिद्वंद्वी के आधार पर उनकी निर्भरता का निर्धारण करने और पक्षों द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले तर्कों और साक्ष्यों से निपटने के उद्देश्यों के लिए मामले को वापस भेजा जाता है। दावा याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि दावेदार कानूनी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उनका दावा कायम रखने योग्य नहीं है। दावा याचिका पर उसके गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

29. आदेश की अपील स्वीकार की जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे।)
23.05.2022

महिंदर/